सन्मार्ग
शुक्रवार ॥ 26 मई, 2017 ॥ कोलकाता

31 मई तक दें फॉर्म 61ए में स्टेटमेंट

कोलकाता: आयकर विभाग के फार्म 61 और 61ए के बारे में कारोबारियों में जागरुकता के लिए मर्चेंट चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री द्वारा 'मैनडेटरी फर्नीशिंग ऑफ नॉन पैन डेटा एंड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन टू इनकम टैक्स इन फॉम नम्बर 61 एंड 61 ए' वार्ता का आयोजन किया गया। इसमें आयकर विभाग के अतिरिक्त निदेशक (खुफिया और आपराधिक जांच) प्रियब्रत प्रमाणिक ने बताया कि कालेधन को रोकने के लिए सरकार ने कई कदम उठाए हैं, जिसके तहत फॉर्म 60 में उपलब्ध गैर-पैन डाटा का अनिवार्य रूप से फॉर्म 61 में उल्लेख करना होगा। सभी संबंधित एजेंसियों को वित्तीय लेनदेन का विवरण देना होगा, जिसका उद्देश्य फॉर्म 61ए में सूचित उच्च मूल्य लेन-देनें के बारे में जानकारी जुटाना है। उन्होंने कहा कि फॉर्म 61ए में वित्तीय लेनदेन के स्टेटमेंट को जमा करने की आखिरी तिथि 31 मई 2017 तय की गई है। ऐसा न करने पर प्रति दिन 100 रुपये जुर्माना लगेगा तथा यदि नोटिस जारी किया जाता है तो यह प्रतिदिन 500 रुपये तक जुर्माना भी लगाया जा सकता है। स्टेटमेंट में गलत सूचना देने के मामले में 50,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया जाएगा। प्रमाणिक ने इस महत्वपूर्ण जानकारी के बारे में जागरुकता फैलाने के लिए चैंबर और कारोबारी समुदाय से आग्रह किया ताकि काले धन पर लगाम लगाई जा सके। कार्यक्रम के दौरान चेंबर की प्रत्यक्ष कर संबंधी स्थायी समिति के अध्यक्ष एमसीसीआई के अरविंद अग्रवाल, एस स्वरूप और कंपनी सीए शांति स्वरूप गुप्ता मौजूद रहे।

जानकारी देते प्रियब्रत प्रमाणिक, साथ हैं अरविंद अग्रवाल।

प्रामाणिक ने बताया कि जहां कोई 'रिपोर्ट योग्य लेनदेन' नहीं हुआ है, उन मामलों में निल जानकारी दी जा सकती है ताकि आयकर विभाग पूछताछ न करे। रिपोर्ट करने योग्य संस्थाएं तथा रिपोर्ट योग्य ट्रांजेक्शन को धारा 285 बीए, आयकर के नियम 114 ई के तहत कवर किया गया है।

दैनिक विश्वमित्र

• कोलकाता
शुक्रवार
26 मई 2017

सरकार काले घन को समाप्त करने को प्रति दृढ़

कोलकाता, 25 मई (नि.प्र.)। पश्चिम बंगाल व सिक्किम के आयकर अपर निदेशक (गुप्तचर व आपराधिक अनुसंधान) श्री प्रियव्रत प्रमाणिक ने काहा है कि सरकार कराधान का दायरा बढ़ानें तथा काला धन नियंत्रित करने के प्रति दृढ़ प्रतिज्ञ है। आज यहाँ एम सी सी चेम्बर आफ कॉमर्स एण्ड इंडस्ट्री की एक सभा को संम्बोधित करते हुए श्री प्रमाणिक ने कहा कि संदेहास्पद भुगतान के मामलों में तीसरे पक्ष पर बिना दबाव डाले 'पैन' खाता नंबरों की मदद से जानकारी बटोरी जा रही है। जिनके पास पैन नंबर नहीं हैं ऐसे लोगों को फार्म-60 भरना होता है। श्री प्रामाणिक ने लोगों का आह्वान किया कि वे स्वतः आयकर विभाग को अपने लेन-देन की जानकारी दें ताकि काले धन की समस्या पर प्रभावी नियंत्रण लागू किया जा सके।

समाज्ञा
कोलकाता शुक्रवार, 26 मई, 2017

स्वतः आयकर विभाग को अपने लेन-देन की दें जानकारी

कोलकाता : पश्चिम बंगाल व सिक्किम के आयकर अपर निदेशक (गुप्तचर व आपराधिक अनुसंधान) प्रियव्रत प्रामाणिक ने काहा है कि सरकार कालाधान का दायरा बढ़ाने तथा कालाधन नियंत्रित करने के प्रति दृढ़ प्रतिज्ञ है। गुरुवार को एमसीसी चेम्बर आफ कॉमर्स एण्ड इंडस्ट्री की एक सभा को सम्बोधित करते हुए उन्होंने कहा कि संदेहास्पद भुगतान के मामलों में तीसरे पक्ष पर बिना दबाव डाले 'पैन' खाता नंबरों की मदद से जानकारी बटोरी जा रही है। जिनके पास पैन नंबर नहीं हैं ऐसे लोगों को फार्म-60 भरना होता है। उन्होंने लोगों का आह्वान किया कि वे स्वतः आयकर विभाग को अपने लेन-देन की जानकारी दें ताकि काले धन की समस्या पर प्रभावी नियंत्रण लागू किया जा सके।

सलाम दुनिया

कोलकाता, 26 मई 2017, शुक्रवार

अब बेनामी संपत्ति रखने वालों की खैर नहीं : प्रियब्रत प्रमाणिक

संवाददाता, सलाम दुनिया

कोलकाताः आयकर के अतिरिक्त निदेशक (खुफिया और आपराधिक जाँच) प्रियब्रत प्रामाणिक ने कहा आयकर विभाग ने बेनामी संपत्ति रखने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए कमर कस ली है। कोलकाता में बेनामी संपत्ति चिन्हित कर एक सूची भी बनायी गयी है। जबकि इस सूची के आधार पर कुछ दिनों में छापामारी अभियान आरंभ किया जाएगा।

वे गुरुवार को मर्चेंट्स चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (एमसीसीआई) द्वारा आयोजित आयकर विषयक एक परिचर्चा सत्र को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि देश में कालेधन का सफाया करने के लिए मोदी सरकार ने बेनामी संपत्ति को लेकर सख्त कदम उठाया है। इसके लिए गत वर्ष 2016 के 1 नवंबर से नए बेनामी सौदे (प्रतिबंध) संशोधन कानून, 2016 के तहत कार्रवाई करनी शुरू की गयी है। इस कानून में अधिकतम 7 वर्ष की सजा और जुर्माने का प्रावधान है। जबकि जुर्माने के तौर पर बेनामी संपत्ति की बाजार की कीमत के 25 फीसदी के बराबर चुकाना होगा। प्रामाणिक ने कहा कि इस बीच आयकर विभाग की ओर से कोलकाता में बेनामी संपत्ति को चिन्हित कर एक सूची बनायी गयी है। लेकिन इस सूची के बारे में उन्होंने ज्यादा कुछ बताने से इनकार कर दिया।

एमसीसीआई के परिचर्चा सत्र को संबोधित करते प्रियब्रत प्रमाणिक

उन्होंने कहा कि काले धने के खिलाफ इस अभियान का प्रधान उद्देश्य यह है कि जहाँ अवैध रूप से की गयी काली कमाई को उजागर होगा, वहीं सार्वजनिक जीवन में जवाबदेही और ईमानदारी भी सुनिश्चित करना है। प्रियब्रत ने यहाँ एक बार व्यापारियों से यह अपील की कि वे बिना डरे व्यापार करें लेकिन आयकर कानून के मुताबिक अपनी आमदनी का उचित लेखा-जोखा की रिपोर्ट आयकर विभाग को दें, साथ ही नियमित टैक्स भी जमा करायें। इस मौके पर सीए शांति स्वरूप गुप्ता ने आयकर अधिनियमों के विभिन्न प्रावधानों की विस्तृत जानकारी दी।

इस अवसर पर एमसीसीआई की स्टैंडिंग कमेटी ऑन डायरेक्ट टैक्स के चेयरमैन अरविंद अग्रवाल ने स्वागत भाषण दिया जबकि संजय भट्टाचार्य ने धन्यवाद ज्ञापन किया।

भारत एक नजर
सच्चाई की खबर
कोलकाता, शुक्रवार, 26 मई 2017

काले धन के संचलन को रोकने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है: आईटी अधिकारी

कोलकाता: सरकार काले धन के संचलन को रोकने और कर आधार को बढ़ावा देने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। पश्चिम बंगाल और सिक्किम, आयकर (इंटेलिजेंस और आपराधिक जांच) के अतिरिक्त निदेशक प्रियव्रत प्रामाणिक ने मर्चेंट चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (एमसीसीआई) द्वारा आयोजित फॉर्म नंबर 61 और 61 ए में आयकर विभाग को गैर-पैन डेटा और वित्तीय लेनदेन का विवरण पर एक इंटरैक्टिव सत्र में यह बाते कहीं। उन्होंने कहा कि कई बार तीसरे पक्ष कुछ जानकारी प्राप्त करने के लिए आयकर नियमों के लिए स्थायी खाता संख्या (पैन) के उद्धरण की आवश्यकता होती है जहां लेनदेन एक निर्दिष्ट सीमा से अधिक हो। जिन व्यक्तियों के पास पैन नहीं है, उन्हें फॉर्म 60 भरने की आवश्यकता है। प्रामाणिक ने लोगों से देश में काले धन के खतरे को रोकने के लिए आईटी विभाग के साथ लेन-देन के विवरण प्रस्तुत करने के लिए स्वेच्छा से आगे आने का आग्रह किया।

EKDIN, Kolkata, Friday, 26 May 2017

কর ফাঁকি রুখতে ফর্ম বদলাল আয়কর দপ্তর

নিজস্ব প্রতিবেদন: যে সমস্ত ব্যক্তির প্যান কার্ড নেই, তাঁদের ফর্ম ৬০ দাখিলের সময়সীমা ৩১ মার্চ থেকে বর্ধিত করে ৩০ এপ্রিল করা হল। পাশাপাশি, যেসব ব্যক্তি ৫০ হাজার থেকে ২ লক্ষ টাকার ওপর লেনদেন করবেন, তাঁদের ফর্ম ৬১এ দাখিল করতে হবে। কারণ, ওই সমস্ত ব্যক্তি ১১৪ই রুলের আওতায় ট্যাক্স প্রদান করতে বাধ্য। কোনও কোম্পানি যদি সঠিক তথ্য না-দেয়, তাহলে ৫০ টাকা, ৫০০ টাকা ও ৫০,০০০ টাকাও ফাইন হতে পারে। বৃহস্পতিবার সংবাদমাধ্যমকে এই কথা জানিয়েছেন, আয়কর দপ্তরের পশ্চিমবঙ্গ-সিকিমের অতিরিক্ত (গোয়েন্দা এবং অপরাধমূলক তদন্ত) ডিরেক্টর প্রিয়ব্রত প্রামানিক। বৃহস্পতিবার মার্চেন্ট চেম্বার অফ কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি, 'ম্যান্ডেটরি ফার্নিশিং অফ নন-প্যান ডাটা অ্যান্ড স্টেটমেন্ট অফ ফাইন্যান্সিয়াল ট্র্যানজ্যাকশন টু ইনকাম ট্যাক্স ডিপার্টমেন্ট ইন ফর্ম নম্বর ৬১ অ্যান্ড ৬১এ' নামে এক আলোচনাসভার আয়োজন করা হয়েছিল। বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন চেম্বারের ডাইরেক্ট ট্যাক্সের স্থায়ী কমিটির চেয়ারম্যান অরবিন্দ আগরওয়াল, এস স্বরূপ অ্যান্ড কোম্পানির সিএ শান্তিস্বরূপ গুপ্তা-সহ অন্যান্যরা।

বৃহস্পতিবার আয়কর দপ্তরের অতিরিক্ত ডিরেক্টর প্রিয়ব্রত প্রামাণিক বলেন, 'যাঁদের প্যান নেই, তাঁদের জন্য ফর্ম ৬০, ফর্ম ৬১ হয়েছে। কোনও ব্যক্তি ২ লক্ষ টাকার বেশি দামি কোনও দোকান বা গাড়ি ক্রয় করলে, তাদের ফর্ম ৬১এ দাখিল করতে হবে। যা ১১৪বি ধারার অন্তর্ভুক্ত। ফর্ম ৬১এ নতুনভাবে তৈরি করা হয়েছে স্টেটমেন্ট অফ ফাইন্যান্সিয়াল ট্র্যানজ্যাকশন (এসএফটি)-এর ২৮৫বিএ ধারায়। পাশাপাশি ১১৪ই রুলের অন্তর্গত ফর্ম ৬১ পূরণ করতে হবে সমস্ত ট্যাক্স প্রদানকারীকে।' তিনি বলেন, 'আরটিজিএস, এনইএফটি, চেক, ড্রাফট-এর মাধ্যমে পোস্ট অফিস, ব্যাংকে সমস্ত তথ্য তুলে ধরতে হবে। কিন্তু, কোনও কোম্পানি যদি সঠিক তথ্য দিতে ব্যর্থ হয়, তাহলে তাদের ক্ষতিপূরণ হিসেবে ভুল হলে প্রতিদিন ১০০ টাকা, লঙ্ঘন করলে ৫০০ টাকা এবং তথ্য ভুল প্রমাণিত হলে ৫০,০০০ টাকা ফাইন দিতে হবে। এই নিয়ম চালু করার একটি কারণ হল- অনেক ক্ষেত্রে অধিক টাকার লেনদেন হলেও সেই সমস্ত ব্যক্তিকে চিহ্নিত করা সম্ভব হচ্ছে না। তাই আয়কর দপ্তরের তরফে প্যান সংক্রান্ত ডাটাবেসের মাধ্যমে সেই সমস্ত ব্যক্তিকে চিহ্নিত করার প্রক্রিয়া চলছে। প্রাথমিকভাবে এসএফটির সাহায্যে টাকা লেনদেনে স্বচ্ছতা আনতে ও কালো টাকা উদ্ধার করতে এই প্রয়াস।' প্রিয়ব্রত প্রামানিকের কথায় সম্মতি জানিয়ে অরবিন্দ আগরওয়াল বলেন, 'কিছু কিছু ছোট ছোট কোম্পানির এই বিষয়টি নিয়ে সমস্যা দেখা দিয়েছে। তাদের সমস্যা দূর করতেই কেন্দ্রীয় সরকারের পক্ষ থেকে ৬১এ তুলে ধরা হল। কর প্রদানে নিয়ম না-মানলে ক্ষতিপূরণও দিতে হবে।'

प्रभात खबर
कोलकाता, शुक्रवार
26.05.2017

काले धन पर लगाम को सरकार व आयकर विभाग प्रतिबद्ध : प्रियव्रत

■ एमसीसीआइ सभागार में आयोजित परिचर्चा में बोले इनकम टैक्स के एडिशनल डायरेक्टर

संवाददाता ▸ कोलकाता

काले धन पर अंकुश और कर का आधार बढ़ाने के लिए सरकार और आयकर विभाग प्रतिबद्ध है. ये बातें पश्चिम बंगाल व सिक्किम जोन के आयकर विभाग के एडिशनल डायरेक्टर (इंटेलिजेंस एंड क्रिमिनल इंवेस्टिगेशन) प्रियव्रत प्रमाणिक ने कहीं. वे गुरुवार को मर्चेंट चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (एमसीसीआइ) सभागार में आयोजित परिचर्चा को संबोधित कर रहे थे. प्रमाणिक ने लोगों से आग्रह किया है कि देश में काले धन के खतरे को रोकने के लिए अपने वित्तीय लेन-देन की सटीक जानकारी आयकर विभाग को दें. धारा 44 एबी के तहत ऑडिट करानेवाले किसी भी व्यवसायी द्वारा वित्तीय वर्ष 2016-17 में दो लाख रुपये या उससे अधिक की लेन-देन पर 31 मई, 2017 को या उससे पहले फार्म 61 के तहत आयकर विभाग को वित्तीय लेन-देन का विवरण (एसएफटी) देना जरूरी है. निर्धारित

समय में विवरण नहीं देने पर आयकर विभाग द्वारा एक बार नोटिस जारी किया जायेगा और इस नोटिस के बाद भी जमा नहीं कराने पर जुर्माना लगाया जायेगा. उन्होंने कहा कि फार्म 60, फार्म 61 और फार्म 61ए के अपने-अपने नियम हैं. छोटे बड़े वित्तीय लेन-देन में पैन कार्ड काफी महत्वपूर्ण है. आयकर विभाग के लिए भी पैन कार्ड जरूरी है क्योंकि इसके जरिये वित्तीय जानकारी आयकर विभाग को मिलती है, लेकिन जिनके पास पैन कार्ड नहीं है उनके लेन-देन से संबंधित काम नहीं रुकेंगे, इसके लिए आयकर विभाग ने फार्म 60 और फार्म 61 की व्यवस्था की है. पैन कार्ड की गैर मौजूदगी में यह फार्म वैकल्पिक व्यवस्था है. आयकर कानून के अनुसार वे व्यक्तिगत टैक्सपेयर, जिनके पास पैन कार्ड नहीं है वे अपने पैन कार्ड की जगह फार्म 60 जमा कर सकते हैं. वहीं वे व्यक्तिगत टैक्सपेयर जिनके पास सिर्फ आय के साधान के रूप में सिर्फ एग्रीकल्चर से प्राप्त आय होती है, उन्हें अपने लेन-देन के साथ पैन कार्ड की जगह फार्म 61 भरना होगा. फार्म 61 ए के तहत विवरण की जानकारी ऑनलाइन दी जा सकती है. आयकर विभाग की वेबसाइट पर ये फार्म उपलब्ध है. कार्यक्रम के दौरान पश्चिम बंगाल और सिक्किम जोन के आयकर विभाग के निदेशक संजीव कुमार, एमसीसीआइ के चेयरमैन (स्टैंडिंग कमेटी ऑन डायरेक्ट टैक्सेस), चार्टर्ड एकाउंटेंट शांति स्वरूप गुप्ता समेत अन्य गणमान्य लोग मौजूद रहे.

এবেলা শুক্রবার ২৬ মে ২০১৭

বেনামি সম্পত্তির বিরুদ্ধে অভিযান জোরদার করতে চলেছে আয়কর দফতর

নিজস্ব সংবাদদাতা

শহরে বেনামি সম্পত্তির বিরুদ্ধে অভিযান ইতিমধ্যেই শুরু হয়েছে। এবার সেই অভিযান আরও জোরদার করা হবে। বৃহস্পতিবার এক সাংবাদিক বৈঠকে এমনটাই জানালেন আয়কর দফতরের অ্যাডিশনাল ডিরেক্টর (ইন্টেলিজেন্স অ্যান্ড ক্রিমিনাল ইনভেস্টিগেশন) প্রিয়ব্রত প্রামাণিক।

প্রসঙ্গত, বণিকসভা 'মার্চেন্টস' চেম্বার অফ কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি' (এমসিসিআই) ওই সাংবাদিক বৈঠকের আয়োজন করেছিল। সেখানেই প্রিয়ব্রত বলেন, "বেনামি সম্পত্তির বিরুদ্ধে কড়া অভিযানের প্রস্তুতি শুরু হয়েছে।" দফতর সূত্রের খবর, ইতিমধ্যেই শহরে বেনামি সম্পত্তি চিহ্নিত করা হয়েছে। তবে মোট কত টাকার বেনামি সম্পত্তি চিহ্নিত করা হয়েছে সে ব্যাপারে প্রিয়ব্রত কোনও মন্তব্য করতে চাননি।

আয়কর দফতরের তরফে কালো টাকার লেনদেনের বিরুদ্ধে অভিযানে বণিকসভাগুলিকেও অংশ নিতে আবেদন করা হয়েছে। প্রিয়ব্রত বলেন, "বণিকসভার কাছে আবেদন করব, কালো টাকার লেনদেনের বিরুদ্ধে অভিযানে তারাও অংশ নিক। আয়কর দেওয়ার ক্ষেত্রে তারাও সাধারণ মানুষকে সচেতন করার প্রক্রিয়ায় যুক্ত হোক।"

প্রসঙ্গত, কালো টাকার আটকাতে দু'লক্ষ টাকার উপরে যে কোনও ধরনের আর্থিক লেনদেনের ক্ষেত্রে প্যান কার্ডের উল্লেখ বাধ্যতামূলক করেছে কেন্দ্রীয় সরকার। এখন যাঁদের প্যান কার্ড নেই, তাঁরা নগদে একলপ্তে ২ লক্ষ বা তার বেশি টাকার জিনিস কিনলে তাঁদের দিয়ে বিক্রেতা ফর্ম ৬০ পূরণ করাবেন। তাতে নাম ঠিকানা-সহ বিভিন্ন তথ্য জানাতে হবে ক্রেতাকে। ফর্ম ৬১-এর মাধ্যমে ফর্ম ৬০-তে পাওয়া সব তথ্য আয়কর দফতরকে জানাবেন সংশ্লিষ্ট বিক্রেতা। আর ফর্ম ৬১এ'র মাধ্যমে আয়কর দফতরকে বিক্রেতা জানাবেন, প্যান কার্ড দিয়ে এবং প্যান কার্ড ছাড়া নগদে বছরে ২ লক্ষ বা তার বেশি টাকার জিনিসপত্রের যাবতীয় লেনদেনের তথ্য। এই তথ্য জানানোর জন্য চলতি মাসের ৩১ তারিখই শেষ দিন বলে জানিয়েছেন প্রিয়ব্রত।

> 'বণিকসভার কাছে আবেদন করব, কালো টাকার লেনদেনের বিরুদ্ধে অভিযানে তারাও অংশ নিক। আয়কর দেওয়ার ক্ষেত্রে তারাও সাধারণ মানুষকে সচেতন করার প্রক্রিয়ায় যুক্ত হোক।'
>
> প্রিয়ব্রত প্রামাণিক

যুগশঙ্খ

কলকাতা
শুক্রবার, ২৬ মে, ২০১৭

Jugasankha
Friday, Kolkata
26 May, 2017

কলকাতায় বেনামী লেনদেন প্রায় ১০০ কোটি

দোষ প্রমাণিত হলে সাত বছরের হাজতবাস, হুঁশিয়ারি আয়কর কর্তার

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২৫ মে: বেনামী লেনদেনে দেশের মধ্যে প্রথম সারিতেই রয়েছে কলকাতা। গত বুধবার প্রত্যক্ষ কর বোর্ড যে প্রেস বিজ্ঞপ্তি জারি করে, তাতে দেখা যাচ্ছে সারা দেশে মোট প্রায় ৬০০ কোটি টাকার বেনামী লেনদেন আয়কর দফতরের নজরে রয়েছে। যার মধ্যে কলকাতায় এর পরিমাণ প্রায় একশো কোটির কাছাকাছি। বিভাগীয় সূত্রেই এ তথ্য জানা গিয়েছে।

তবে বৃহস্পতিবার আয়কর দফতরের কর্তা প্রিয়ব্রত প্রামাণিক স্পষ্ট করে এ সংক্রান্ত সংখ্যাটি না বললেও তিনি জানান, বেনামী লেনদেনে জড়িত ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে কড়া ব্যবস্থাই নেওয়া হবে।

এদিন বণিকসভা মার্চেন্ট চেম্বার অব কমার্স আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে আয়কর কর্তা বলেন, 'কলকাতা-সহ সারা রাজ্যে এই ধরনের লেনদেনের উপর নজর রাখা হচ্ছে। এ ধরনের বেশ কয়েকটি ঘটনা ধরাও পড়েছে। নয়া আইনে এই অপরাধ প্রমাণিত হলে সাত বছর পর্যন্ত কারাদণ্ড হবে।'

এই সঙ্গে তিনি জানিয়েছেন, আয়কর দফতর নির্দিষ্ট তথ্যের ভিত্তিতেই বেশ কিছু লেনদেনের উপর কড়া নজর রেখে চলেছে। উল্লেখ্য, গত বুধবার যে তথ্য প্রকাশ করা হয়, সেখানে বলা হয়েছে সারা দেশে এই ধরনের ছশো কোটি টাকার বেআইনি লেনদেনের মধ্যে কলকাতা, দিল্লি, মুম্বই ও বেঙ্গালুরুর মতো প্রথম সারির সাতটি শহরেই এই লেনদেনের মোট পরিমাণ প্রায় ৫৩০ কোটি টাকা।

এদিন মার্চেন্ট চেম্বারের সদস্যদের উদ্দেশে প্রিয়ব্রত বলেন, 'সরকার এই ধরনের লেনদেনের মাধ্যমে কালো টাকার দৌরাত্ম্য ঠেকাতে বদ্ধপরিকর। সেই কারণেই দু'লক্ষ টাকার বেশি লেনদেনে প্যান বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। অন্যথায় কড়া ব্যবস্থা নেবে আয়কর দফতর।'

তিনি জানান, শুধু বেআইনি বা অন্য নামে লেনদেনই নয়, বেশ কিছু ছোট সংস্থার নামে, বাস্তবে যেসব সংস্থার কোনও অস্তিত্ব নেই, সেই সব সংস্থার মাধ্যমেও বিরাট পরিমাণ টাকার লেনদেন হয়েছে। এই সবও আয়কর দফতরের নজরে এসেছে। এর বিরুদ্ধেও ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলে তিনি হুঁশিয়ার করে দেন।